

1213075/17-12-12

पत्र सं० - सचल दल-ट्रांजिट पास -2012-13/

1656 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

(सचलदल - अनुभाग)

उत्तर प्रदेश , लखनऊ

दिनांक :: 12 दिसम्बर, 2012

आदेश

उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-49 के उपबन्धों के अधीन स्थापित वाणिज्य कर विभाग की समस्त जाँच चौकियों / रेलवे जाँच चौकियों को दिनांक 30/31 जुलाई, 2009 की अर्द्ध रात्रि से शासन द्वारा समाप्त किया जा चुका है। इसी के प्रतिफलन में सड़क मार्ग से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार पत्र की व्यवस्था भी समाप्त करते हुए ऐसे माल के पारगमन हेतु संशोधित व्यवस्था हेतु प्रक्रिया इस कार्यालय के आदेश सं०-चे०पो० समाप्ति/बहती समाप्ति-09-10/552/वाणिज्य कर दिनांक 30.07.2009 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। इसी क्रम में उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 50 तथा उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 58 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुसूची एक के अतिरिक्त समस्त करयोग्य माल के प्रदेश में आयात एवं परिवहन तथा प्रदेश की सीमा से होकर पारगमन हेतु परिवहित होने वाले माल के संबंध में निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

- 1- समस्त जांच चौकियों / रेलवे जांच चौकियों की समाप्ति के फलस्वरूप आयात घोषणा पत्र (प्रपत्र 38) के आधार पर आयात किये जाने वाले माल के संबंध में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी। यदि शासन द्वारा प्रपत्र 38 के निर्गमन / प्रयोग आदि के संबंध में अन्यथा निर्देश दिये जाते हैं तो तदनुसार अनुपालन किया जायेगा।
- 2- जिन वस्तुओं में अग्रिम राजस्व जमा करने की व्यवस्था है, वह यथावत प्रभावी रहेगी। यदि कोई माल बिना आयात घोषणा पत्र के परिवहन करते हुये पाया जाता है, तो उस पर नियमानुसार कारण बताओ नोटिस अभिग्रहण आदेश निर्गत करते हुये जमानत / अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी।
- 3- प्रदेश के बाहर से माल लेकर प्रदेश से होते हुये प्रदेश के बाहर जाने वाले माल के साथ माल से संबंधित प्रपत्रों या बिल/बिल्टी आदि के अतिरिक्त पारगमन घोषणा पत्र के रूप में एक फार्म रखना आवश्यक होगा जो विभागीय वेबसाइट Comtax.up.nic.in पर उपलब्ध प्रारूप से डाउनलोड किया जायेगा। इसे प्रान्त के अन्दर प्रवेश के पूर्व उक्त फार्म की सभी प्रविष्टियाँ भर कर डाउनलोड करना होगा। पारगमन घोषणा पत्र में परिवहन के रुट की भी घोषणा करनी होगी। जिसमें प्रदेश में प्रवेश एवं निकासी स्थान के साथ साथ दो महत्वपूर्ण स्थानों की घोषणा करना होगा। प्रान्त से होकर जाने वाले माल को प्रान्त के अन्दर घोषित स्थानों पर पल्टी किया जा सकेगा। पल्टी करने के बाद उस माल का परिवहन करते समय उसी पारगमन घोषणा पत्र में नये ट्रक संख्या का अंकन करते हुये माल का परिवहन किया जा सकेगा। प्रदेश के अन्दर से गुजरने वाला माल यदि पारगमन घोषणा पत्र में उल्लिखित रुट से भिन्न रुट में पाया जायेगा तो प्रथमदृष्टया यह विश्वास करने का आधार होगा कि करापवंचन के उद्देश्य से ऐसे माल को प्रान्त बाहर से आयात करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में कारण बताओ नोटिस देते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी। पारगमन घोषणा पत्र प्रदेश के अन्दर प्रवेश की घोषित तिथि से अधिकतम 4 दिनों के लिये वैध होगा।
- 4- यदि किसी वाहन में केवल प्रान्त बाहर जाने योग्य माल घोषित है तो ऐसे वाहन का प्रथम बार सचल दल द्वारा भौतिक सत्यापन किये जाने पर पारगमन घोषणा पत्र पर अपनी सील सहित हस्ताक्षर कर दिया

जायेगा और रास्ते में अन्य सचल दल इकाईयों द्वारा भी वाहन/माल की चेकिंग की जायेगी किन्तु सामान्य रूप से दो बार से अधिक भौतिक सत्यापन नहीं किया जायेगा और दो बार भौतिक सत्यापन कराये जाने की स्थिति में डिटेन्शन मेमो / कारण बताओ नोटिस में इसके कारणों का उल्लेख किया जायेगा।

5- आन लाइन पारगमन घोषणा पत्र को डाउनलोड करते समय ट्रांसपोर्टर को सबसे अधिक तीन मूल्य वाली इन्वाइस/बिल के सापेक्ष मूल्य के घटते हुए क्रम में क्रेता तथा विक्रेता का नाम, टिन नम्बर, सम्बंधित इन्वाइस / बिल का क्रमांक व दिनांक तथा मूल्य अंकित करना होगा। यदि क्रेता अथवा विक्रेता अपंजीकृत हैं तो टिन के स्थान पर इस फील्ड में 09 लिखकर इसके बाद नौ बार शून्य टाइप करना होगा।

तदनुसार कार्यवाही निष्पादित की जाए।


(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

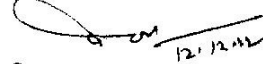
प्र0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0प्र0
- (5) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।
- (6) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (7) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0 / स0द0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक, इन्सैटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्यग्राजियाबाद।
- (18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (19) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (23) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।

- (24) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ०प्र० ।
- (25) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (26) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (27) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलशफा लखनऊ ।
- (28) मर्वेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (29) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (30) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (31) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्डो ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (32) आल इण्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद ।
- (33) कनफेडरेशन आफ इण्डियन इण्डो निराला नगर, लखनऊ ।
- (34) राज्य-स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) के माध्यम से ।
- (35) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (36) श्री नरेन्द्र कु० गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (37) शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ०प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस०एस०कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर ।
- (38) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ०प्र० शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (39) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (40) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (41) डा० छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (42) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (43) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुंजगली, चौक, वाराणसी ।
- (44) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु०नगर ।
- (45) श्री पी०एस०जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र०ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (47) आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी 60वाहचन्द इलाहाबाद ।
- (49) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ०प्र० प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (50) इण्डियन इण्डोएसो०, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर ।
- (51) संयोजक, टैक्सेशियों एक्सेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो०, वेस्टर्न यू०पी०, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०पा० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर ।
- (54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (55) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (57) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
- (58) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (59) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ ।
- (60) श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

- (62) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (63) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (64) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (30प्र0)
- (66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (68) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन्स, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (70) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (71) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (72) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0)
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।


 ज्वाइंट कमिश्नर (सचल दल) वाणिज्य कर
 मुख्यालय, लखनऊ